



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022021-225410
CG-DL-E-24022021-225410

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 812]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 23, 2021/फाल्गुन 4, 1942

No. 812]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 23, 2021/PHALGUNA 4, 1942

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2021

का.आ. 882(अ).— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :-

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) संशोधन आदेश 2021 है।
(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन के तारीख से प्रवृत्त होगा
- उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) में, खंड 2 में,-

(i) उप खंड (कक) के पश्चात्, निम्नलिखित उप खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘(कख) “जैव प्रेरक” से कोई पदार्थ या सूक्ष्म जीव या दोनों का संयोजन अभिप्रेत है, जिसका मुख्य कृत्य जब उसे पादपों, बीजों या राइजोस्फीयर पर उपयोग किया जाता है तो वह पादपों में भौतिक प्रक्रियाओं को प्रेरित करता है

तथा उनके द्वारा पौष्टिक पदार्थ ग्रहण करने, उनमें वृद्धि करने, उपज बढ़ाने, पौष्टिक दक्षता, उपज क्वालिटी और दबाव के प्रति सहनशीलता में उनमें पौष्टिक अंतर्वस्तु पर ध्यान न देते हुए वृद्धि करता है किंतु जिसके अंतर्गत नाशक जीवमार या पादप वृद्धि विनियामक सम्मिलित नहीं है, जिनका विनियमन कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) के अधीन किया जाता है;

(ii) उपखंड (ज) में, “राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाए” शब्द के पश्चात् “और जिसके अंतर्गत कोई जैव प्रेरक शामिल है” शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे;

(iii) उपखंड (थ) में मद (vii) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(viii) जैव प्रेरक के संबंध में जिसमें अनुसूची VI के भाग क के स्तंभ 2 शामिल हैं, स्तंभ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट मानक उक्त अनुसूची के भाग ख में यथानिर्दिष्ट अनुज्ञेय अंतर की सीमाओं के अधीन है।”

3. उक्त आदेश के स्तंभ 20ख के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“20ग जैव प्रेरक के संबंध में विनिर्देश – (1) इस आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जैव प्रेरक के विनिर्देश जिसमें उसका नाम, क्रियाशील अवयव या जहां यह क्रियाशील अवयव पहचान करना संभव नहीं है तब उसका रसायनिक संयोजन, फसल का नाम जिसको यह लागू हो सकेगी उसके क्रियाशील अवयव या रसायनिक संयोजन के विनिश्चय के लिए विश्लेषण के लाभ और रीति को केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।”

(2) अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट जैव प्रेरक निम्नलिखित किन्हीं प्रवर्गों के अधीन वर्गीकृत होंगे, अर्थात् :-

- (क) वनस्पति अर्क, जिसके अंतर्गत समुद्री शैवाल अर्क भी है;
- (ख) जैव – रसायन;
- (ग) प्रोटीन हायड्रोलाइसेट्स और अमीनो एसिड;
- (घ) विटामिन;
- (ङ) सैलमुक्त सूक्ष्मजीव उत्पाद;
- (च) एंटीऑक्सिडेंट;
- (छ) अपारदर्शी;
- (ज) धरणिक और फुल्विक एसिड और उनके यौगिक;

(3) इस आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जैव प्रेरक का प्रत्येक विनिर्माता और आयातकर्ता अनुसूची VI में इसे जैव प्रेरक के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए ऐसे उत्पाद से संबंधित निम्नलिखित आकड़ों के साथ प्ररूप छ में नियंत्रक को एक आवेदन करेगा, अर्थात् :-

क. रसायन:

1. स्रोत (पादक/सूक्ष्मजीव/पशु/कृत्रिम के प्राकृतिक अर्क)
2. उत्पाद विनिर्देश (गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस (जीएलपी) से विश्लेषण सहित या प्रशिक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, (एनएबीएल) प्रत्यायित प्रयोगशाला एकीकृत और सहायक क्रियाओं के भौतिक और रसायनिक सम्पतियां यदि कोई हों।

3. विनिर्देशों को सुनिश्चित करने के लिए विश्लेषण की रीति ।

4. शेल्फ जीवन ।

ख. जैव प्रभावकारिता परीक्षण;

1. कृषि जैव प्रभावकारिता परीक्षण राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान तंत्र जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विश्वविद्यालय भी हैं, में संचालित किया जाएगा ।

2. जैव प्रभावकारिता परीक्षण कम से कम एक मौसम के तीन विभिन्न खुराकों के रूप में तीन कृषि पारिस्थितिकी अवस्थानों पर संचालित किए जाएंगे;

ग. विषाक्ता; संस्थान का नाम (जहां जैव उत्प्रेरक के विनिर्माता ने प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया है ।)

प्रत्यायित प्रयोगशाला जीएलपी के निम्नलिखित पांच मूल घोर विषाक्ता परीक्षण (i) से (v) और चार पर्यावरण विषाक्ता परीक्षण (vi) से (ix) की सिफारिश के साथ परीक्षण रिपोर्ट आवेदन के साथ दाखिल करेगी, अर्थात :-

(i) घोर मौखिक (मूसक)

(ii) घोर त्वचीय (मूसक)

(iii) घोर अंतः श्वसन (मूसक)

(iv) प्राथमिक त्वचा जलन (खरगोश)

(v) आंख में जलन (खरगोश)

(vi) पक्षी विषाक्ता

(vii) मद्धली विषाक्ता (मीठा पानी)

(viii) मधुमख्खी विषाक्ता

(ix) केंचुआ विषाक्ता

टिप्पण :- लंबी अवधि के पुराने अध्ययन जो कि कीटनाशकों की दशा में किए जाते हैं उनका संचालित करना आवश्यक नहीं हैं;

घ. भारी धातु विश्लेषण रिपोर्ट;

ड. विनिर्माता या आयातकर्ता द्वारा, उत्पाद का नमूना दस रुपये के गैर न्यायिक स्टॉप पेपर पर शपथपत्र के साथ यह कहते हुए कि उत्पाद 0.01ppm की अनुज्ञेय सीमा से अधिक कीटनाशक नहीं रखता है:

परन्तु जैव प्रेरक के प्राकृतिक मूल या अन्य होने की दशा में आवश्यक आंकड़े की अपेक्षा इस संबंध में इसके बनाए गए दिशानिर्देशकों के अनुसार केन्द्रीय जैव प्रेरक समिति द्वारा विनिश्चित की जाएगी ।

परन्तु और यह कि जैव प्रेरक का प्रत्येक विनिर्माता और आयातकर्ता को, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा जैव प्रेरक अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट किया गया है, इस उपखंड के अधीन आवेदन करना अपेक्षित हैं ।

(4) इस आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो इस आदेश के प्रकाशन की तारीख पर जैव प्रेरक का विनिर्माण कर रहा है, जिसमें कोई मानक विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की

अवधि के लिए ऐसे जैव प्रेरक को विक्रय, विक्री, विक्रय के लिए प्रस्ताव, भंडार या प्रदर्शन के लिए विनिर्माण को जारी करने के लिए उपखंड (5) के अधीन अंतः कालीन रजिस्ट्रीकरण को प्रदान करने के लिए आवेदन करने के अधीन होगा।

(5) उपखंड (4) में विनिर्दिष्ट विनिर्माता इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से छह माह के अवधि के भीतर प्ररूप छ-1 में अंतः कालीन रजिस्ट्रीकरण को प्रदान करने के लिए नियंत्रक को एक आवेदन -

(क) उत्पाद के ब्यौरे, उसके विनिर्देश, लेबल और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो अपेक्षित हों;

(ख) प्ररूप छ-2 में राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया एक प्रमाणपत्र जिसका प्रभाव यह है कि

(i) उत्पाद उक्त आदेश के प्रकाशन से पहले बाजार में उपलब्ध है; और

(ii) कोई घटना उत्पाद के हानिकारक प्रभाव के बारे में नोटिस में नहीं आयी है।

के साथ दाखिल करेगा

(6) अंतः कालीन रजिस्ट्रीकरण के लिए उपखंड (5) के अधीन आवेदन के ग्रहण करने पर नियंत्रक लिखित में आदेश द्वारा प्ररूप छ-3 में जैव प्रेरक के रजिस्ट्रीकरण का अंतः कालीन प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

(7) कोई व्यक्ति किसी जैव प्रेरक का विनिर्माण या आयात नहीं करेगा जब तक ऐसा जैव प्रेरक अनुसूची VI में शामिल न हो।

(8) नियंत्रक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची VI में शामिल जैव प्रेरक के विनिर्माता या आयातकर्ता का नाम प्रकाशित करेगा।

(9) कोई जैव प्रेरक विभिन्न धातुओं के लिए विहित की गई निम्नलिखित अधिकतम सीमा से अधिक भारी धातु अंतर्वस्तु नहीं रखेगा, अर्थात् :-

मि.ग्रा./कि.ग्रा. (अधिकतम) में	
कैल्शियम (Cd के रूप में)	5.00
क्रोमियम (VI) (Cr के रूप में)	50.00
तांबा (Cu के रूप में)	300.00
जिंक (Zn के रूप में)	1000.00
सीसा (Pb के रूप में)	100.00
आर्सेनिक (As ₂ O ₃ के रूप में)	10.0

(10) कोई जैव प्रेरक 0.01 ppm की अनुज्ञेय सीमा से अधिक कोई कीटनाशक नहीं रखेगा।

4. उक्त आदेश के खंड 21 में,-

(i) प्रारंभ होने वाले भाग में "उर्वरक या अखाद योग्य तेलरहित खली उर्वरक" शब्दों के स्थान पर "उर्वरक, अखाद योग्य तेलरहित खली उर्वरक या जैव प्रेरक" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) मद (ग) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

‘(घ) प्रत्येक पात्र जिसमें कोई जैव प्रेरक पैक किया गया है जैव प्रेरक शब्द के साथ उपरिलिखित स्पष्ट रूप से होगी और ऐसी विशिष्टियां जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, रखेगा जब तक अन्य कोई विशिष्टियां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित न हो।

5. उक्त आदेश के खंड 28 में उपखंड (1) में मद (खग) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
“(खघ) अनुसूची VI में अधिकथित नमूनों के लेने की प्रक्रिया के अनुसार किसी जैव प्रेरक का नमूना ले।”

परन्तु निरीक्षक प्ररूप ज में द्विप्रतिक में नमूना ब्यौरे तैयार करेगा और व्यवहारी या उसके प्रतिनिधि जिससे नमूना लिया गया है को एक प्रति सौंपेगा।

6. उक्त आदेश के खंड 29 में उपखंड (1ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(1ग) किसी निरीक्षक द्वारा लिया गया जैव प्रेरक नमूना केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद या उसकी प्रादेशिक प्रयोगशालाओं या केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी अन्य प्रयोगशाला में अनुसूची VI के भाग ग में अंतर्विष्ट की गई प्रक्रिया के अनुसार विश्लेषित किया जाएगा।”

7. उक्त आदेश के खंड 38 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(38क) केन्द्रीय जैव प्रेरक समिति – (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं उसके अध्यक्ष के रूप में कृषि आयुक्त और सात अन्य सदस्यों के साथ एक समिति गठित कर सकेगी जिसे केन्द्रीय जैव प्रेरक समिति कहा जाएगा।

- (2) केन्द्रीय जैव प्रेरक समिति निम्नलिखित विषयों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह दे सकेगी, अर्थात् :-

- (i) नए जैव प्रेरक को सम्मिलित करना;
- (ii) जैव प्रेरकों की विशिष्टियों;
- (iii) नमूना लेने की और उसका विश्लेषण करने का विधि;
- (iv) प्रयोगशाला के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं;
- (v) जैव प्रेरकों की जांच करने की विधि;
- (vi) केन्द्रीय सरकार द्वारा समिति को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय;

(3) समिति केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए गणपूर्ति तय करने के लिए और स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए उसके द्वारा संव्यवहार किए गए सभी कारबार के संचालन के लिए उप विधि बना सकेगी।

(4) समिति ऐसी संख्या में विशेषज्ञों को और ऐसे प्रयोजनों के लिए या ऐसी कालावधियों के लिए सहयोजित कर सकेगी जो वह ठीक समझे, किन्तु इस प्रकार सहयोजित किसी विशेषज्ञों को मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(5) समिति, एक या अधिक उपसमितियों ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जो ऐसी उपसमिति को प्रत्यायोजित किए जाएं, नियुक्ति कर सकेगी जो पुर्णतः उसके सदस्यों से या भागतः उसके सदस्य से और सहयोजित सदस्यों से मिलकर बनेगी जैसा की वह ठीक समझे।

(6) केन्द्रीय जैव प्रेरक समिति विषक विज्ञान जांच और अन्य संबंधित जांच के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों की विरचना करेगी।

8. उक्त आदेश में, V अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूचियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“अनुसूची VI”

[खंड 2 (कख) और (थ) तथा खंड 20ग देखिए]

भाग – क

जैव प्रेरक के विनिर्देश

क्रम संख्या	जैव प्रेरक	मानक
(1)	(2)	(3)

भाग-ख

सहन सीमा

क्र.सं.	जैव प्रेरक	सहन सीमा
(1)	(2)	(3)

भाग-ग

जैव प्रेरक का नमूना लेने की प्रक्रिया

1. नमूने की साधारण अपेक्षाएं

1.0 नमूने को लेने, तैयार करने और हैंडलिंग करने में निम्नलिखित सावधानियों और निदेशों का पालन किया जाएगा –

1.1 नमूने किसी प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्ति द्वारा लिए जाएंगे क्योंकि यह आवश्यक है कि नमूने जांच की जाने वाली लॉट का द्योतक होने चाहिए।

1.2 नमूने अपने मूल बंद पैकेट में हैंडलिंग के दौरान नमूने की संभाव्य संदूषण को रोकने और सामग्री की प्रत्यक्ष और सत्य स्थिति में सहायता करने के लिए प्रयोगशाला से लेने और भेजने चाहिए।

1.3 यथावत् पैकेट को नमी, हवा, प्रकाश, धूल या कालिक के संपर्क में नहीं आने से सुरक्षित जगह से लिया जाएगा।

2. नमूने का मापमान

2.1 लॉट;

सभी इकाई (विनिर्माण के उसी बैच से संबंधित सामग्री के प्रकार के एकल प्रेषण में पात्र) एक भाग गठित करेगा यदि प्रेषण विनिर्माण के विभिन्न बैचों से गठित होता है, उसी बैच का प्रेषण पृथक होगा और एक पृथक लॉट गठित करेगा।

2.2 बैच:- सभी जैव प्रेरक उसी प्रक्रिया में साथ-साथ तैयार किए जाएंगे जो एक बैच गठित करेंगे।

2.3 विनिर्देश की अपेक्षाओं की सामग्री की अनुरूपता को सुनिश्चित करने के लिए नमूनों के प्रत्येक लॉट को पृथक रूप से परीक्षण किया जाएगा।

2.4 किसी लॉट से चयन किए जाने वाले पैकेटों की संख्या उस लॉट के आकार पर निर्भर करेगी और इन पैकेटों का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाएगा।

3. नमूनों का आहरण

3.1 निरीक्षक समान समूह से नमूनों के अनुसार तीन पैकेटों को लेगा। प्रत्येक नमूना परीक्षण नमूना संघटित करता है।

3.2 प्रत्येक नमूना कपड़े के थैले में मुहरबंद किया जाएगा। नमूना और प्ररूप-त निरीक्षक अंतर्विष्ट रखने वाले मुहरबंद अन्य कपड़े थैले में रखा जाएगा, जिसे निरीक्षक का मुहरबंद के साथ मुहरबंद किया जाएगा। ऐसे इस प्रकार पहचान योग्य के व्यौरों का नमूना संख्या कोड संख्या या अन्य व्यौरे नमूना और प्ररूप त रखने वाले कपड़े थैले में रखेगा जो इसकी पहचान को सुलभ योग्य बनाएगा।

3.3 संग्रहीत तीन नमूनों में से एक नमूना केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी प्रयोगशाला या खंड 29 के उप-खंड 1(ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रयोगशाला के प्रभारी को भेजेगा। अन्य नमूना यथास्थिति विनिर्माता या आयातकर्ता या व्यौरा दिया जाएगा। तीसरा नमूना अभिरक्षा की सुरक्षा में रखने के लिए उसके अगले उच्चतर प्राधिकारी के निरीक्षक द्वारा भेजा जाएगा। बाद में कोई दो नमूनों को खंड 29ख के उपखंड-2 के अधीन विश्लेषण के संदर्भ के लिए भेजा जाएगा।

3.4 खेप से निकालने होने के लिए नमूनों की संख्या:

खेप/समूह	नमूनों की संख्या
5,000पैकेजों तक	3
1000-5001पैकेजें	4
10,000पैकेजों से अधिकतर	5

भाग घ

परीक्षण की कार्यपद्धति।।

9. उक्त आदेश में प्ररूपों और रजिस्ट्रीकरण,-

(i) प्ररूप – ज में, शब्दों के स्थान पर खंड [28(1)(ख) और 28(1)(खख) देखें] शब्द [ख ड. 28(1)(ख),28(1)(खक), 28(1)(खख), 28(1)(खग) और 28(1)(खघ) देखें] रखे जाएंगे।

(ii) प्ररूप च के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूपों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

प्ररुप-छ

[खंड 20ग(3) देखे]

अनुसूची 6 में बायोस्टीमुलेंट्स का समावेश के लिए आवेदन

सेवा में,

उर्वरक के नियंत्रक

.....

.....

- (i) इकाई का पता के साथ विनिर्माता का नाम जहां अवस्थित है :
- (ii) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:
- (iii) अवस्थित और भंडारकरण गोदाम (मों) का पूर्ण पता:
- (iv) नाम और संपर्क संख्या, उसका पदनाम के साथ आवेदक का पता और ई-मेल आई डी.:
- (v) प्राधिकृत व्यक्ति का पैन और आधार संख्या:
- (vi) बायोस्टीमुलेंट्स का नाम (उपखंड 2 में के उपखंड में यथा विनिर्दिष्ट बायास्टीमुलेंट्स का प्रवर्ग उपदर्शित करें):
- (vii) ब्रांड का नाम:
- (viii) आयातकर्ता के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना प्रदान की जाएगी:
- (क) उद्गम का देश:
- (ख) उद्गम के देश के अधीन यह बायास्टीमुलेंट्स रजिस्ट्रीकृत है (प्रति प्रदान करें):
- (ग) क्या उद्गम देश में सस्य गुणकारिता के परीक्षणों और विषाक्तता परीक्षणों संचालित किया गया है :
- (ix) उत्पाद के तकनीकी ब्यौरे :
- (x) लेबलों और पत्रक के ब्यौरे:
- (xi) विनिर्मित परिमाण और अंतिम तीन वर्ष के दौरान विक्रीत किया गया है:

सत्यापन:-

मैं.....तदनुसार सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूं कि सर्वोत्तम मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपरोक्त दिया गया कथन पूर्ण और सही है ।

मैं.....यह स्पष्ट रूप से यह समझता हूं कि यदि आवेदन के साथ प्रस्तुत कोई सूचना या डाटा किसी प्रक्रम पर गलत या मिथ्या पाया जाता है, रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप-छ-1

[खंड 20ग(3) देखें]

बायोस्टीमुलेंट्स का अनंतिम रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन

सेवा में,

उर्वरक के नियंत्रक

.....

.....

(i) इकाई का पता के साथ विनिर्माता का नाम जहां अवस्थित है :

(ii) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:

(iii) अवस्थित और भंडारकरण गोदाम (मों) का पूर्ण पता:

(iv) नाम और संपर्क संख्या, उसका पदनाम के साथ आवेदक का पता और ई-मेल आई डी:

(v) व्यक्ति का पैन और आधार संख्या:

(vi) बायोस्टीमुलेंट्स का नाम (उपखंड 2 में के उपखंड में यथा विनिर्दिष्ट बायास्टीमुलेंट्स का प्रवर्ग उपदर्शित करें):

(vii) ब्रांड का नाम:

(viii) आयातकर्ता के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना प्रदान की जाएगी:

(क) उद्गम का देश:

(ख) उद्गम के देश के अधीन यह बायास्टीमुलेंट्स रजिस्ट्रीकृत है (प्रति प्रदान करें):

(ग) क्या उद्गम देश में सस्य विज्ञान गुणकारिता के परीक्षणों और विषाक्तता परीक्षणों संचालित किया गया है :

(ix) उत्पाद के तकनीकी ब्यौरे:

(x) लेबलों और पत्रक के ब्यौरे:

(xi) विनिर्मित परिमाण और अंतिम तीन वर्ष के दौरान विक्रीत किया गया है (विक्रय का दस्तावेज संलग्न करें):

(xii) तारीख और वर्ष जब बाजार में आरंभ किया गया है :

(xiii) राज्य जिसमें उत्पाद विक्रीत हों :

सत्यापन:-

मैं.....तदनुसार सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूं कि सर्वोत्तम मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपरोक्त दिया गया कथन पूर्ण और सही है।

मैं.....यह स्पष्ट रूप से यह समझता हूं कि यदि आवेदन के साथ प्रस्तुत कोई सूचना या डाटा किसी प्रक्रम पर गलत या मिथ्या पाया जाता है, रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप-छ-2

[खंड 20ग(5)(ख) देखें]

[राज्य सरकार(रों) द्वारा जारी किया जाए]

यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्व (अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख)ब्रांड का नाम मैसर्स बायोस्टीमुलेंट्स (नाम) विक्रय कर रहा है औरअंतिम तीन वर्ष के दौरान राज्य में बायोस्टीमुलेंट्स के मैट्रिक टन /लीटर में बेचा जा रहा है।

यह और प्रमाणित किया जाता है कि मानवों के अतिरिक्त पशुओं या पर्यावरण पर उक्त बायोस्टीमुलेंट्स के बुरे प्रभावों या परिसंकटमय प्रभावों पर जब तक कि शिकायत रिपोर्टिंग नहीं किया गया है।

कृषि के निदेशक

प्ररूप छ -3

[खड.20ग-(6)देखें]

(नियंत्रक द्वारा जारी किया जाए)

(अनंतिम रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र)

मैसर्स(नाम) और (पता)उर्वरक (अजैव जैव या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश के खंड ग के उपखंड (6) के अधीन बायोस्टीमुलेंट्स(नाम) विनिर्माण के लिए अनंतिम रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र एतद्वारा दिया गया है:-

1. जैव-उत्तेजक पदार्थ:
2. जैव-उत्तेजक पदार्थ:
3. विनिर्माण इकाई में अवस्थित:
4. भंडारण की तारीख:
5. प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण संख्या:

पुस्तक सं. और पृष्ठ सं.

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण-अगस्त 2022 तक विधिमान्य होगा।

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन होगा :-

1. धारक केवल बायोस्टीमुलेंट्स विनिर्माण बनाएगा जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है।
2. भारी धातु अंतर्वस्तु और कीटनाशी अंतर्वस्तु इस आदेश के अधीन विहित सीमा से अधिक नहीं होगी।
3. धारक, उक्त आदेश और इसके तद्विनी जारी की गई अधिसूचना के उपबंधों का पालन करेगा।
4. बायोस्टीमुलेंट्स को विक्रय के लिए प्राधिकरण पत्र संबद्ध सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी से अभिप्राप्त करेगा।

5. प्ररूप च-1 में उपबंधित कोई सूचना यदि गलत पायी जाती है या कोई निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन पर उर्वरक नियंत्रक अंतिम रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया जाएगा।

(नियंत्रक)

[फा. सं. 3-14/2017 उर्वरक विधि]

नीरजा आदिडम, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश सा.का.नि.758 (अ), तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था का.आ 3885 (अ), 29 अक्टूबर, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 23rd February, 2021

S.O. 882 (E). — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely:-

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Amendment Order, 2021.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985 (hereinafter referred to as the said Order), in clause 2,—
 - (i) after sub-clause (aa), the following sub-clause shall be inserted, namely:—
“(ab) “biostimulant” means a substance or microorganism or a combination of both whose primary function when applied to plants, seeds or rhizosphere is to stimulate physiological processes in plants and to enhance its nutrient uptake, growth, yield, nutrition efficiency, crop quality and tolerance to stress, regardless of its nutrient content, but does not include pesticides or plant growth regulators which are regulated under the Insecticide Act, 1968 (46 of 1968);
 - (ii) in sub-clause (h), after the words “State Governments”, the words “and includes a biostimulant” shall be inserted;
 - (iii) in sub-clause (q), after item (vii), the following item shall be inserted, namely:—
“(viii) in relation to a biostimulant included in column (2) of Part-A of Schedule VI, the standard set out in the corresponding entry in column (3), subject to the limits of permissible variations as specified in Part-B of the said Schedule;”
3. In the said order, after clause 20B, the following clause shall be inserted, namely:—
“20C. Specifications in respect of biostimulants.—(1) Notwithstanding anything contained in this Order, the specifications of biostimulants, including its name, active ingredients or where it is not possible to indicate its active ingredients, then its chemical composition, name of the crop to which it may be applied, its benefits and the method of analysis for determination of its active ingredients or chemical composition shall be specified by the Central Government in Schedule VI.
(2) The biostimulants specified in Schedule VI shall be classified under any of the following categories, namely:—
 - (a) botanical extracts, including seaweed extracts;
 - (b) bio-chemicals;
 - (c) protein hydrolysates and amino acids;
 - (d) vitamins;

- (e) cell free microbial products;
- (f) antioxidants;
- (g) anti-transpirants;
- (h) humic and fulvic acid and their derivatives

(3) Notwithstanding anything contained in this order, every manufacturer or importer of a biostimulant shall make an application to the Controller in Form G along with the following data relating to such product for specifying it as a biostimulant in Schedule VI, namely;—

A. Chemistry:

1. Source (natural extracts of plant/microbe/animal / synthetic)
2. Product Specification (with analysis from Good Laboratory Practice(GLP) or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratory (NABL) accredited laboratory, Physical and Chemical properties of active ingredients and adjuvants, if any.
3. Method of analysis conforming to the specifications.
4. Shelf-life;

B. Bio-efficacy Trials:

1. Agronomic Bio-efficiency trials shall be conducted at National Agricultural Research System, including Indian Council of Agricultural Research, State Agricultural Universities.
2. Bio-efficacy trials shall be conducted at minimum three different doses for one season at three agro-ecological locations;

C. Toxicity: Name of the Institute (where the manufacturer of biostimulant obtained the certificate)

The test report along with recommendation of following five basic acute toxicity tests (i) to (v) and four Eco toxicity tests (vi) to (ix) of GLP accredited laboratory shall be submitted along with the application, namely:—

- (i) Acute oral (Rat)
- (ii) Acute dermal (Rat)
- (iii) Acute Inhalation (Rat)
- (iv) Primary skin Irritation (Rabbit)
- (v) Eye irritation (Rabbit)
- (vi) Toxicity to bird
- (vii) Toxicity to Fish (Freshwater)
- (viii) Toxicity to honeybee
- (ix) Toxicity to earthworm

Note:- Long-term chronic studies as in case of pesticides are not needed to be conducted;

D. Heavy metal analysis report;

E. The sample of the product along with an Affidavit by the manufacturer or importer on non-judicial stamp paper of rupees ten stating that the product is not laced with pesticide beyond permissible limit of 0.01ppm

Provided that in case of a biostimulant having natural origin or other, the requirement of necessary data shall be as decided by the Central Biostimulants Committee as per the guidelines formulated by it in this regard:

Provided further that every manufacturer or importer of a biostimulant shall, notwithstanding that such biostimulant has been specified in Schedule VI, be required to make an application under this sub-clause.

(4) Notwithstanding anything contained in this order, any person manufacturing a biostimulant as on the date of publication of this order for which no standards have been specified, may, subject to making an application for grant of provisional registration under sub-clause (5), continue to manufacture for sale, sell, offer for sale, stock or exhibit such biostimulant for a period of two years from the date of publication of this order.

(5) The manufacturer referred to in sub-clause (4) shall, within a period of six months from the date of publication of this order, submit an application to the Controller for grant of provisional registration in Form G-1 along with—

- (a) details of the product, its specifications, label and such other particulars as may be required;
- (b) a certificate issued by the State Government in Form G-2 to the effect that—
 - (i) the product is available in the market prior to the publication of the said order; and
 - (ii) no incident has come to its notice about harmful effect of the product.

(6) On receipt of an application under sub-clause (5) for provisional registration, the Controller shall, by an order in writing, grant a provisional certificate of registration of biostimulant in Form G-3.

(7) No person shall manufacture or import any biostimulant unless such biostimulant is included in schedule VI.

(8) The Controller shall, by notification in the Official Gazette, publish the name of the manufacturer or importer of the biostimulant included in Schedule VI.

(9) No biostimulant shall contain heavy metals content over and above the following maximum limit prescribed for various metals, namely,—

In mg/kg (maximum)	
Cadmium (as Cd)	5.00
Chromium (VI) (as Cr)	50.00
Copper (as Cu)	300.00
Zinc (as Zn)	1000.00
Lead (as Pb)	100.00
Arsenic (as As ₂ O ₃)	10.0.

(10) No biostimulant shall contain any pesticide beyond the permissible limit of 0.01ppm.

4. In the said Order, in clause 21, —

(i) in the opening portion, for the words “fertiliser or non-edible de-oiled cake fertiliser”, the words “fertiliser, non-edible de-oiled cake fertiliser or biostimulant” shall be substituted;

(ii) after item (c), the following item shall be inserted, namely:—

‘(d) every container in which any biostimulant is packed shall be conspicuously superscribed with the word “Biostimulant” and shall bear only such particulars as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf, unless any other particulars are required under any other law for the time being in force.’

5. In the said Order, in clause 28, in sub-clause (1), after item (bc), the following item shall be inserted, namely:—

“(bd) draw samples of any biostimulants in accordance with the procedure of drawal of samples laid down in Schedule VI;

Provided that the Inspector shall prepare the sampling details in duplicate in Form-J and handover one copy of the same to the dealer or his representative from whom the sample has been drawn;”.

6. In the said order, in clause 29, after sub-clause (1B), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

“(1C) A biostimulant sample drawn by an inspector shall be analysed in accordance with the procedure contained in Part C of Schedule VI in the Central Fertiliser Quality Control and Training Institute, Faridabad or its regional laboratories or in any other laboratory notified for this purpose by the State Government with prior approval of Central Government.”.

7. In the said order, after clause 38, the following clause shall be inserted, namely:—

“38A. Central Biostimulant Committee.— (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute a Committee to be called ‘Central Biostimulant Committee’ with the Agriculture Commissioner as its Chairperson and seven other members, subject to such terms and conditions, as may be specified therein.

(2) The Central Biostimulant Committee shall advise the Central Government on the following issues, namely:—

- (i) inclusion of a new biostimulant;
- (ii) specifications of various biostimulants;
- (iii) methods of drawing of samples and its analysis;
- (iv) minimum requirements of laboratory;
- (v) method of testing of biostimulants;
- (vi) any other matter referred to the Committee by the Central Government.

(3) The Committee may, subject to the previous approval of the Central Government, make bye-laws fixing the quorum and regulating its own procedure and the conduct of all business to be transacted by it.

(4) The committee may co-opt such number of experts and for such purposes or periods as it may deem fit, but any expert so co-opted shall not have the right to vote.

(5) The committee may appoint one or more sub-committees, consisting wholly of its members or partly of its members and co-opted members, as it thinks fit, for the purpose of discharging such for its functions as may be delegated to such sub-committee.

(6) The Central Biostimulants Committee shall frame guidelines laying down the requirements of toxicology testing and other related tests.

8. In the said Order, after Schedule V, the following Schedules shall be inserted, namely:—

“Schedule VI

[See clause 2(ab) and (q) and clause 20C]

Part-A

SPECIFICATIONS OF BIOSTIMULANTS

Sl. No.	Biostimulants	Standard
(1)	(2)	(3)

Part-B

TOLERANCE LIMIT

Sl. No.	Biostimulants	Tolerance limit
(1)	(2)	(3)

Part-C

PROCEDURE FOR DRAWAL OF SAMPLES OF BIOSTIMULANTS

1. General Requirements of Sampling

1.0 In drawing, preparing and handling of samples, the following precautions and directions shall be observed—

1.1 Sampling shall be carried out by a trained and experienced person as it is essential that the sample should be representative of the lot to be examined.

1.2 Samples in their original unopened packets should be drawn and sent to the laboratory to prevent possible contamination of sample during handling and to help in revealing the true condition of the material.

1.3 Intact packets shall be drawn from a protected place not exposed to dampness, air, light, dust or soot.

2. Scale of Sampling

2.1 Lot;

All units (containers in a single consignment of type of material belonging to the same batch of manufacture) shall constitute a lot. If a consignment consists of different batches of the manufacture, the containers of the same batch shall be separated and shall constitute a separate lot.

2.2 Batch:- All biostimulants prepared simultaneously in the same process constitute a batch.

2.3 For ascertaining conformity of the material to the requirements of the specification, samples shall be tested from each lot separately.

2.4 The number of packets to be selected from a lot shall depend on the size of the lot and these packets shall be selected at random.

3. Drawal of Samples

3.1 The Inspector shall take three packets as samples from the same batch. Each sample constitutes a test sample.

3.2 Each sample shall be sealed in a cloth bag and be sealed with the Inspector's seal. The sealed cloth bag containing the sample and Form-P shall be kept in another cloth bag which shall also be sealed with the Inspector's seal. Identifiable details such as sample number, code number or any other details shall be put on the cloth bag containing sample and Form-P which enable its identification.

3.3 Out of the three samples collected, one sample so sealed shall be sent to in-charge of the laboratory notified by the State Government under the sub-clause (1C) of clause 29 or any laboratory notified by the Central Government. Another sample shall be given to the manufacturer or importer or dealer, as the case may be. The third sample shall be sent by the Inspector to his next higher authority for keeping in safe custody. Any of the latter two samples shall be sent for reference analysis under sub-clause (2) of clause 29B.

3.4 The number of samples to be drawn from the lot;

Lot/Batch	Number of Samples
Upto 5,000 packets	3
5,001-10,000 packets	4
More than 10,000 packets	5

Part-D

METHODOLOGY OF TESTING.”.

9. In the said Order, in Forms and Registration,—

(i) in Form-J, for the words “[See clause 28(1) (b) and 28 (1) (bb)], the words “[See clause 28(1)(b), 28(1)(ba), 28(1) (bb), 28(1)(bc) and 28(1)(bd)] shall be substituted.

(ii) after Form-F, the following Forms shall be inserted, namely:—

FORM- G

[See clause 20C(3)]

APPLICATION FOR INCLUSION OF BIOSTIMULANTS IN SCHEDULE VI

To,

The Controller of Fertiliser

- (i) Name of manufacturer along with address of unit where it is located:
- (ii) Address of the Registered office of the company:
- (iii) Location and full address of storage / godown(s):
- (iv) Name and address of the applicant along with his designation, contact number and email ID:
- (v) PAN and Adhaar number of the authorized person:
- (vi) Name of biostimulant (indicate the category of biostimulant as specified in sub-clause (2) of clause 20C):
- (vii) Brand Name:
- (viii) In case of importer, following additional information shall be provided:
 - (a) country of origin:
 - (b) is biostimulant registered under country of origin (provide the copy):
 - (c) whether the agronomic efficacy trials and toxicity trials are conducted in the country of origin:
- (ix) Technical details of product:
- (x) Labels and leaflet details:
- (xi) Quantity manufactured and sold during last three years (attach sale document):

Verification:-

I do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the statement given above is correct and complete.

I clearly understand that the certificate of registration is liable to be canceled if any information or data, submitted with application is found incorrect or false at any stage.

Signature of the applicant

FORM- G-1

[See clause 20C(5)]

APPLICATION FOR PROVISIONAL REGISTRATION OF BIOSTIMULANTS

To,

The Controller of Fertiliser

- (i) Name of manufacturer along with address of unit where it is located:
- (ii) Address of the Registered office of the company:
- (iii) Location and full address of storage / godown(s):
- (iv) Name and address of the applicant along with his designation, contact number and email ID:
- (v) PAN and Adhaar number of the authorized person:
- (vi) Name of biostimulant (indicate the category of biostimulant as specified in sub-clause (2) of clause 20C):
- (vii) Brand Name:
- (viii) In case of importer, following additional information shall be provided:
 - (a) country of origin:
 - (b) is biostimulant registered under country of origin (provide the copy):
 - (c) whether the agronomic efficacy trials and toxicity trials are conducted in the country of origin:
- (ix) Technical details of product:
- (x) Labels and leaflet details:
- (xi) Quantity manufactured and sold during last three years (attach sale document):
- (xii) Date and year when introduced in market:
- (xiii) State(s) in which product is sold:

Verification:-

I do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the statement given above is correct and complete.

I clearly understand that the certificate of registration is liable to be canceled if any information or data, submitted with application is found incorrect or false at any stage.

Signature of the applicant

FORM- G-2

[See clause 20C(5)(b)]

(To be issued by the State Government(s))

This is to certify that M/s _____ is selling biostimulant (Name) _____ brand name _____ prior to the (date of publication of notification) and during last three years, ----- metric ton/ litre of biostimulant were sold in the state.

This is further certified that no complaint has so far been reported of ill effects or hazardous effects of the said biostimulant on humans as well as on animals or environment.

Director of Agriculture

FORM G-3

[See clause 20C(6)]

(To be issued by Controller)

Certificate of Provisional Registration

M/s..... (name) and (address) _____ is hereby given the Certificate of Provisional Registration to manufacture the biostimulant (Name) _____ under sub-clause (6) of clause 20C of the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, details of which are as under:—

1. Name of the bio-stimulant:
2. Brand Name of the bio-stimulant:
3. Location of manufacturing unit:
4. Place of storage:
5. Certificate Registration Number:

Book No. _____ and Page No. _____

The provisional registration shall be valid upto.....day of August, 2022.

The provisional registration shall be subject to the following terms and conditions:—

1. The holder shall manufacture only the biostimulant for which the registration is provided.
2. The heavy metal content and Pesticide content shall not exceed the limit prescribed under the Order.
3. The holder shall comply with the provisions of the said Order and notification issued thereunder.
4. For selling of biostimulant, the authorization letter shall be obtained from the Notified Authority of the concerned State Government.
5. Any information provided in Form G-1 if found incorrect, or on violation of any terms and conditions, the Controller of Fertiliser shall cancel the provisional registration.

(Controller)

[F.No.3-14/2017 Fert Law]

NEERAJA ADIDAM, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India vide G.S.R. number 758 (E). dated the 25th September,1985 and last amended vide SO 3885 (E) dated 29th October,2020